



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07062024-254616
CG-DL-E-07062024-254616

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2084]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 5, 2024/ज्येष्ठ 15, 1946

No. 2084]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 5, 2024/JYAISHTHA 15, 1946

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(पशुपालन एवं डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2024

का. आ. 2186(अ).—पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (झ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार ने कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग), भारत सरकार द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) क्रमांक 18-6/70 एलडीआई में दिनांक 23 मार्च 1978 को अधिसूचित एवं का.आ. 269 (अ) दिनांक 26 मार्च 2001 तथा का. आ. 2465 (अ) दिनांक 22 सितम्बर 2009 को संशोधित परिवहन पशु नियम 1978 में संशोधन करने का निर्णय लिया है जिन्हें अंतिम नियम प्रकाशित करने से पहले तीस दिनों की अवधि के भीतर आम जनता की टिप्पणियों के लिए प्रकाशित किया जाएगा।

कोई भी व्यक्ति इन मसौदा नियमों पर अपने सुझाव, आपत्तियां व्यक्त करना चाहता है वह ऊपर निर्दिष्ट अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार के विचारार्थ संयुक्त सचिव (पशु कल्याण), पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, कमरा नंबर 245, कृषि भवन, डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली 110001 को भेज सकता है।

मसौदा नियम

- (1) इन नियमों को पशुओं का परिवहन (संशोधन) नियम, 2024 कहा जाएगा।
- (2) वे आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. 2001 और 2009 में संशोधित पशु परिवहन नियम, 1978 के नियम 2 में (यहां उक्त नियमों के रूप में संदर्भित), उप नियम (ख) के बाद निम्नलिखित उप नियम जोड़े जाएंगे: -

(ग) "क्षेत्राधिकारी पशु चिकित्सा अधिकारी": क्षेत्र में राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा नियोजित पशु चिकित्सक, जो किसी मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालय से उपाधि प्राप्त है और राज्य पशु चिकित्सा परिषद या भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के साथ पंजीकृत है, से अभिप्रेत है।

3. उक्त नियमों में, नियम 77 के लिए उप नियम (ग) के बाद निम्नलिखित डाला जाएगा, अर्थात्:-

77(घ) प्रत्येक खेप के साथ अनुसूची ठ में निर्दिष्ट एक वैध स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए, जो एक योग्य पशु चिकित्सा सर्जन द्वारा जारी किया गया हो, जो इस आशय का हो कि कुक्कुट रेल, सड़क या हवाई मार्ग से परिवहन के लिए उपयुक्त स्थिति में हैं और बीमारी का कोई संकेत नहीं दिखा रहे हैं।

4. उक्त नियमों में अध्याय VIII के बाद, निम्नलिखित अध्याय नए अध्याय के रूप में होंगे, अर्थात्: -

अध्याय VIII क: रेल या सड़क मार्ग से ऊंट का परिवहन

95(क) परिभाषा: (i) **वयस्क ऊंट** - इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि अन्य संदर्भ की आवश्यकता न हो, इसका अभिप्राय कैमेलिडे परिवार के अंतर्गत आने वाले पशु जिसमें बैक्ट्रियन, ड्रोमेडरी और जंगली बैक्ट्रियन के वंशज नर और मादा दोनों शामिल हैं;

(ii) **शिशु ऊंट** का अभिप्राय दो वर्ष से कम आयु के ऊंट से है।

95 (ख) ऊंट के परिवहन के दौरान निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाएगा, अर्थात्:-

- i) वयस्क और / या शिशु ऊंट को ले जाने वाली प्रत्येक खेप पर एक लेबल लगा होना चाहिए जिसमें माल भेजने वाले और प्राप्त करने वाले का नाम, पता और दूरभाष संख्या तथा परिवहन किए जाने वाले ऊंट (ऊंटों) की संख्या एवं उनके प्रकार का नाम मोटे लाल अक्षरों में दर्शाया जाएगा।
- ii) माल भेजने वाला, माल प्राप्त करने वाले को उस ट्रेन या वाहन और उसके आगमन के समय के बारे में भी पहले से सूचित करना होगा जिसमें ऊंटों की खेप भेजी जा रही है।
- iii) वयस्क और / या शिशु ऊंट का परिवहन या तो रेलवे वैगन द्वारा या समय-समय पर अधिसूचित विशिष्ट वाहनों के माध्यम से किया जाएगा।
- iv) वयस्क और / या शिशु ऊंट को केवल उरोस्थि यानी बैठने की स्थिति में ही ले जाया जा सकता है और सड़क मार्ग से परिवहन करते समय ऊंट को 10 घंटे के अंतराल के बाद उतार दिया जाएगा।
- v) यदि ऊंटों की संख्या दो से अधिक है तो प्रत्येक वैगन में कम से कम दो परिचारक होने चाहिए।
- vi) रेलवे वैगन या ऊंट ले जाने वाले वाहन में कोई नुकिली वस्तु नहीं होनी चाहिए जिससे यात्रा के दौरान ऊंटों को कोई चोट पहुँचे।
- vii) यात्रा के दौरान हर समय ऊंटों के लिए पर्याप्त वायुसंचार उपलब्ध होना चाहिए और यात्रा के दौरान ऊंटों को सीधे गर्मी के संपर्क में नहीं आना चाहिए।
- viii) ऊंट को चढ़ाने और उतारने के लिए केवल उपयुक्त ढलान और प्लेटफॉर्म, जहां तात्कालिक उपलब्ध नहीं हैं, का उपयोग किया जाएगा।
- ix) ऊंटों को ढीली मुलायम सामग्री जैसे सूती रस्सियों से बांधा जाएगा और किसी भी स्थिति में गर्दन और कूबड़ पर प्लास्टिक, नायलॉन या जूट लगाने से बचा जाएगा।
- x) ऊंट ले जाने वाले वाहन में बिस्तर के रूप में कम से कम 12 इंच रेत / पुआल की परत उपलब्ध कराया गया है।

95(ग) वयस्क और / या शिशु ऊंट के परिवहन के दौरान प्रदान की जाने वाली उपयुक्त जगह और आवास सुविधाएं, अर्थात्-

- i) वयस्क और / या ऊंट को वाहन या रेलवे वैगन या किसी अन्य वाहक में केवल बैठने की स्थिति में ही रोका जाएगा। प्रत्येक ऊंट के लिए न्यूनतम फर्श क्षेत्र "दस फीट गुणा पाँच फीट" प्रदान किया जाएगा।
- ii) नर और मादा वयस्क ऊंटों का परिवहन अलग-अलग किया जाना है। शिशु ऊंट को माँ ऊंट के साथ एक साथ ले जाया जा सकता है। दो वर्ष से अधिक उम्र के ऊंट को अलग से ले जाया जाएगा जिसके लिए न्यूनतम "दस फीट गुणा पाँच फीट" क्षेत्र आवंटित किया जाएगा।
- iii) उग्र या आक्रामक वयस्क और / या शिशु ऊंटों को अन्य विनम्र ऊंटों के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए। ऐसे उग्र या आक्रामक ऊंट को सामान चढ़ाने या उतारने से पहले किसी योग्य पशु चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में अनुमोदित शामक दवाएं दी जा सकती हैं।

95(घ) वयस्क और / या शिशु के परिवहन के लिए निम्नलिखित स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा आवश्यकताओं का पालन किया जाएगा, अर्थात: -

- i) अनुसूची ड में निर्दिष्ट अनुसार प्रत्येक खेप के साथ एक वैध स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए, जो क्षेत्राधिकारी पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस आशय से जारी किया गया हो कि ऊंट रेल या सड़क मार्ग से परिवहन के लिए योग्य है, और बीमारी के लक्षण नहीं दिखा रहा है। स्वास्थ्य प्रमाणपत्र एक माह से कम पुराना नहीं होना चाहिए।
- ii) वयस्क और / या शिशु ऊंट को लादने से कम से कम एक घंटा पहले खाना खिलाया जाएगा और पर्याप्त पानी दिया जाएगा। यात्रा के लिए पर्याप्त पानी और भोजन की व्यवस्था की जाएगी।
- iii) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी आपातकालीन पशु चिकित्सा उपकरण और दवाएं ऊंट दल के साथ जाने वाले पशुधन सहायक या पशु चिकित्सा नर्सिंग सहायक को उपलब्ध कराई गई हैं।
- iv) सभी आवश्यक पशु चिकित्सा दवाएं और उपकरण सभी ऊंटों की खेपों के साथ होंगे।
- v) किसी भी आपातकालीन स्थिति में निकटतम पशु चिकित्सालय या किसी योग्य पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क किया जाएगा।

[फा. सं. वी-11011(18)/15/2023-एनएलएम-डीएडीएफ]

डॉ. ओ. पी. चौधरी, संयुक्त सचिव

अनुसूची ठ

(नियम 77(घ) देखें)

कुक्कुट पक्षियों की यात्रा के लिए स्वस्थता-प्रमाणपत्र के लिए प्रपत्र

यह प्रमाणपत्र इस आशय से योग्य पशुचिकित्सक द्वारा पूरा किया जाना चाहिए और उस पर हस्ताक्षर किया जाना चाहिए:

1. परीक्षण की तारीख और समय
2. रेलवे वैगनों / ट्रकों की संख्या
3. कंटेनरों की संख्या (सभी रेलवे वैगन / ट्रक सहित)
4. वैगन / वाहन में कंटेनरों द्वारा घेरे गए स्थान के आयाम
5. प्रत्येक कंटेनर में कुक्कुट पक्षियों की संख्या
6. प्रत्येक प्रकार के कुक्कुट पक्षियों की संख्या
 - (i) एक दिन के चूड़े
 - (ii) टर्की पॉल्ट्स
 - (iii) परत मुर्गियाँ
 - (iv) ब्रॉयलर मुर्गियाँ

- (v) ब्रॉयलर मुर्गे
- (vi) गिनी फाउल
- (vii) बत्तखें
- (viii) बटेर
- (ix) हंस
- (x) टर्की

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि पशुओं के परिवहन नियम, 1978 के अध्याय VI में नियम 76 से 84 पढ़ लिया है।

1. कि, (प्रेषक) _____ के अनुरोध पर, मैंने माल वाहन / रेलवे वैनो में उनके प्रस्थान से 12 घंटे से अधिक पहले उपरोक्त उल्लिखित कुक्कुट पक्षियों की जांच नहीं की।
2. ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक पक्षी सड़क / हवाई मार्ग से यात्रा करने के लिए उपयुक्त स्थिति में है और उनमें संक्रामक या सांसर्गिक या परजीवी रोग का कोई लक्षण नहीं दिख रहा है।
3. उस दिन पुराने चूजों को मारेक्स रोग से बचाव का टीका लगाया गया था।
4. ब्रॉयलर कुक्कुट पक्षियों को उनकी उम्र और प्रजाति-विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार प्रशासन के माध्यम से मारेक्स रोग, न्यूकैसल रोग / आईबी, गम्बोरो रोग के टीके लगाए गए हैं।
5. लेयर कुक्कुट पक्षियों को उनकी उम्र और प्रजाति-विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार मारेक रोग, न्यूकैसल रोग / आईबी, गम्बोरो रोग, फाउलपाँक्स रोग, फाउल टाइफाइड रोग के खिलाफ टीका लगाया गया है।
6. परिवहन से पहले और परिवहन के दौरान एक दिन के चूजों और मुर्गों को न तो खाना खिलाया गया और न ही पानी पिलाया गया।
7. यह कि एक दिन के चूजों और मुर्गों को छोड़कर कुक्कुट पक्षियों को परिवहन के लिए कंटेनरों में रखने से पहले पर्याप्त रूप से भोजन और पानी दिया गया है और नियमों में निर्धारित अनुसार यात्रा के दौरान भोजन और पानी के प्रावधान किए गए थे।
8. एक दिन के चूजों और मुर्गों को छोड़कर कुक्कुट पक्षियों को कंटेनरों में तय किए गए उपयुक्त कुंडों में अतिरिक्त चारा और पानी उपलब्ध कराया गया है।
9. यह कि पक्षियों को नीचे सूचीबद्ध संक्रामक / सांसर्गिक / परजीवी रोगों के खिलाफ टीका लगाया गया है।

क्र. सं.	टीका का प्रकार	टीका की तारीख	टीकाकरण किये गये पक्षियों की संख्या
1			
2			
3			
4			

तारीख.....

(योग्य पशुचिकित्सक द्वारा भरा जाना है)

नाम:

पद का नाम:

पता:

हस्ताक्षर और मुहर / मुद्रांक :

सचिव, भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग), राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान परिसर, पी.ओ. 42 किलोमीटर स्टोन, दिल्ली-आगरा राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग-2, ग्राम - सीकरी, बल्लभगढ़, फ़रीदाबाद, हरियाणा-121004, भारत।

अनुसूची ड

(नियम 95 घ देखें)

ऊंट की यात्रा के लिए स्वस्थता प्रमाण पत्र हेतु प्रपत्र

यह प्रमाणपत्र क्षेत्राधिकारी पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा पूरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए।

परीक्षा की तारीख और समय:.....

ट्रकों / रेलवे वैगनों की संख्या.....

लिंग:..... उम्र:.....

नस्ल और पहचान संख्या और चिह्न, यदि कोई हो:.....

से परिवहन किया गया.....

को..... के जरिए.....

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैंने पशु परिवहन नियम, 1978 के अध्याय IV के नियम पढ़ लिए हैं।

1. कि, (प्रेषक) के अनुरोध पर..... मैंने मालवाहक वाहनों, रेलवे वैगनों में उपरोक्त ऊंटों की जाँच की है।
2. ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक ऊंट रेल / सड़क मार्ग से यात्रा करने के लिए उपयुक्त स्थिति में है और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं।
3. कि यात्रा के उद्देश्य से ऊंटों को पर्याप्त भोजन और पानी दिया गया।
4. कि ऊंटों को सुराह के विरुद्ध (दवा का नाम) की प्रोफियोरिस खुराक दी गई है।
5. ऊंट के परिवहन का उद्देश्य;

तारीख.....

(क्षेत्राधिकारी पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा भरा जाए)

नाम:

पद का नाम:

पता:

हस्ताक्षर और मुहर / मुद्रांक:

सचिव, भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग), राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान परिसर, पी. ओ. 42 किलोमीटर स्टोन, दिल्ली-आगरा राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग-2, ग्राम - सीकरी, बल्लभगढ़, फ़रीदाबाद, हरियाणा-121004, भारत ।

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2024

S. O. 2186(E).—In exercise with the power conferred by clause (h) of sub-section (2) of section 38 of the Prevention of Cruelty to Animal Act, 1960; the Central Government has decided to further amend the Transportation of Animal Rules, 1978 published by the Government of India, Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Agriculture) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) notified vide no. 18-6/70 LDI dated 23rd March, 1978 and amended vide S. O. 269 (E) dated 26th March, 2001 and S.O. 2465 (E) dated 22nd September, 2009 for comments by the common public within a period of thirty days before publishing the final rules.

Any person desiring to make any suggestion or objection in respect of the said draft Rules may forward the same for consideration of the Central Government, within the period specified above, to the Joint Secretary (Animal Welfare), Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Room No. 245, Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi 110001.

Draft Rules

1. (1) These Rules may be called the Transport of Animals (Amendment) Rules, 2024.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In Rule 2 of the Transport of Animals Rules, 1978 as amended in 2001 and 2009 (herein referred to as the said rules), after sub rule (b) the following sub Rules shall be inserted namely:-
(c) “Jurisdictional Veterinary Officer”: means veterinarian employed by the state government or central government in the area who holds a degree from a recognized veterinary college and is registered with the state Veterinary council or veterinary council of India.
3. In the said rules, for Rule 77 after sub rule (c) the following shall be inserted namely:-
77(d) A valid health certificate as specified in Schedule L shall accompany with each consignment, issued by a qualified Veterinary Surgeon to the effect that the Poultry is in a fit condition to transport by rails, road or air and is not showing any sign of diseases.
4. In the said Rules after Chapter VIII, the following chapters shall be instead as new chapter, namely:-

Chapter VIII A: Transportation of Camel by Rail or Road

95(A) Definition: (i) Adult Camel- for the purposes of this chapter unless the context other requires, means the animal covered under family Camelidae including Bactrian, Dromedary and Wild Bactrian, both male and female including its progeny and;

(ii) Baby Camel means the camel below the age of two years.

95 (B) The following conditions shall be adhered to during Transportation of Camel, namely:-

- i) Each consignment transporting adult and/or baby camel shall bear a label showing in bold red letters the name, address and telephone number of the consignor and consignee, and the number and type of camel(s) being transported.
- ii) The consignor shall inform the consignee in advance about the train or vehicle in which the consignment of camel(s) is being sent and its arrival time.
- iii) The adult and/or baby camel shall be transported either by a railway wagon or through specific vehicles as notified from time to time.
- iv) The adult and/or baby camel can only be transported only in sternal recumbence i.e. in a sitting position and when transporting through road the camel shall be unloaded after interval of 10 hours
- v) Every wagon shall have at least two attendants if the camels are more than two in number.
- vi) The railway wagon or the vehicle carrying the camel shall not have any sharp object that may cause any injury to camels during the journey.
- vii) Adequate ventilation shall be available for camels at all times during the journey and camels should not be subjected to direct heat during the journey.
- viii) Only suitable ramps and platforms, improvised where not available, shall be used for loading and unloading Camel.

- ix) The camel shall be tied with loose soft material such as cotton ropes and in any case plastic, nylon or jute on the neck and hump shall be avoided.
- x) At least 12 inches of sand/ straw level has been provided as bedding in the vehicle carrying the camel.

95(C) Space allowance and housing facilities to be provided during transportation of adult and/or baby camel, namely,-

- i) The adult and /or baby camel shall be restrained in the vehicle or a Railway Wagon or any other carrier only in sternal recumbency that in a sitting position. The minimum floor space area of “ten feet by five feet” shall be provided for each camel.
- ii) Male and female adult camels are to be transported separately. Baby Camel, may be transported together with the mother camel. The camel above two years of age shall be transported separately for which the minimum area of “ten feet by five feet” shall be allotted.
- iii) Furious or aggressive adult and/or baby camel should not be mixed with other docile camel. Such furious or aggressive camel may be administered approved sedative drugs under the supervision of any qualified veterinary surgeon before loading or unloading.

95 (D) The following health and veterinary requirements for transportation of adult and /or baby camel shall be adhered to, namely,-

- i) A valid health certificate as specified in Schedule M shall accompany with each consignment, issued by a Jurisdictional Veterinary Officer to the effect that the camel is fit for transportation by rails or road, and is not showing sign of diseases. The Health Certificate shall not be less than one month old.
- ii) The adult and /or baby camel shall be fed at least an hour before loading and given water adequately. Sufficient watering and food arrangements shall be made for the journey.
- iii) It must be ensured that all the emergency veterinary equipment and medication have been made available to Livestock Assistant or veterinary nursing assistant detailed with the camel contingent.
- iv) All the necessary veterinary medication and equipment shall accompany all the consignment camel.
- v) In case of any emergency, the nearest veterinary hospital or any qualified veterinary surgeon shall be contacted.

[F. No. V-11011(18)/15/2023-NLM-DADF]

Dr. O.P. CHAUDHARY, Jt. Secy.

SCHEDULE L

(See Rule 77(d))

Performa for Certificate of fitness to travel Poultry birds

This Certificate should be completed and signed by qualified veterinary surgeon, to the effect that:

1. Date and time of examination
2. Number of railway wagons/trucks
3. Number of containers (inclusive of all railway wagons/trucks)
4. Dimensions of the space occupied by containers in the wagon/vehicle
5. Number of poultry birds in each container.
6. Number of each type of Poultry Birds
 - (i) Day old chicks
 - (ii) Turkey Poults
 - (iii) Layer Chickens
 - (iv) Broiler Chickens
 - (v) Broiler Roosters
 - (vi) Guinea Fowl
 - (vii) Ducks
 - (viii) Quails

(ix) Geese

(x) Turkey

I hereby certify that I have read rules 76 to 84 in Chapter VII of the Transport of Animals Rules, 1978,

1. That, at the request of (consignor) _____, I examined the above mentioned poultry birds in the goods vehicle/ railway wagons not more than 12 hours before their departure.
2. That each bird appeared to be in a fit condition to travel by road/air and is not showing any signs of infectious or contagious or parasitic disease.
3. That day old chicks have been vaccinated against Mareks disease.
4. That the broiler poultry birds have been vaccinated via the administration, vaccines for Mareks disease, Newcastle Disease/IB, Gumboro Disease, in accordance with their age and species-specific requirements.
5. That the layer poultry birds have been vaccinated against Marek's disease, Newcastle Disease/IB, Gumboro Disease, Fowlpox disease, Fowl typhoid disease, in accordance with their age and species-specific requirements.
6. That the day-old chicks and poults were not fed or watered before and during transportation.
7. That the poultry birds barring the day-old chicks and poults have been adequately fed and watered before they are placed in containers for transportation and provisions were made for the feeding and watering during the journey as prescribed in the Rules.
8. That the poultry birds barring the day-old chicks and poults have been provided extra feed and water in suitable troughs fixed in the containers.
9. That the birds have been vaccinated against infectious/contagious/parasitic diseases as enlisted below.

S. No.	Type of Vaccine	Date of Vaccine	Number of birds Vaccinated
1			
2			
3			
4			

Date.....

(To be filled by qualified veterinary surgeon)

Name:

Designation:

Address:

Sig. and Seal/stamp:

The Secretary, Animal Welfare Board of India, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying (Department of Animal Husbandry and Dairying), National Institute of Animal Welfare Campus P.O.42 KM Stone, Delhi-Agra Highway, NH-2 Village-Seekri, Ballabhgarh, Faridabad, Haryana-121 004 India

SCHEDULE M

(See Rule 95 D)

Performa for Certificate of fitness to travel for Camel

This Certificate should be completed and signed by Jurisdictional Veterinary officer.

Date and time of Examination:.....

Number for trucks/ Railway wagons.....

Sex:.....Age:.....

Breed and identification number and marks, if any:.....

Transported from.....

To.....

Via.....

I hereby certify that I have read rules in Chapter IV of the Transport of Animal Rules, 1978.

1. That, at the request of (consignor) I have examined the above mentioned camels in the goods vehicle, railway wagons.
2. That each camel appeared to be in a fit condition to travel by rail/road and is not showing any signs of disease.
3. That the camels were adequately fed and watered for the purpose of the journey.
4. That the camels have been given prophylaxis dosage of (name of the medicine) against *Surrah*.
5. Purpose of transport of camel;

Date.....

(To be filled by Jurisdictional Veterinary officer)

Name:

Designation:

Address:

Sig. and Seal/stamp:

The Secretary, Animal Welfare Board of India, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying (Department of Animal Husbandry and Dairying), National Institute of Animal Welfare Campus P.O.42 KM Stone Delhi-Agra Highway. NH-2 Village- Sikri, Ballabhgarh, Faridabad, Haryana-121 004 India